न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
56/2022	2022/241	12.05.2022	29.08.2022

उनवान प्रकरण

1. श्रीराम पुत्र गोविन्दराम आयु 50 वर्ष
2. जगदीश पुत्र गोविन्दराम आयु 38 वर्ष
3. जुगलकिशोर पुत्र गोविन्दराम आयु 48 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मोबाईल नम्बर 9784461413

——वादीगण

बनाम

1. बलराम पुत्र हरलाल आयु 42 वर्ष
2. बाबूलाल पुत्र हरलाल आयु 34 वर्ष
3. जयपाल पुत्र हरलाल आयु 32 वर्ष
4. पतासी पत्नी हरलाल आयु 75 वर्ष
5. मिश्री देवी पुत्री हरलाल आयु 54 वर्ष
6. श्रवणी देवी पुत्री हरलाल आयु 52 वर्ष
7. महेशी देवी पुत्री हरलाल आयु 45 वर्ष
8. संतरा देवी पुत्री हरलाल आयु 40 वर्ष
9. कौशल्या देवी पुत्री हरलाल आयु 36 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कोटड़ी (सिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

10. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

28/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः–
श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रिछपाल बाजिया, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत घोषणा व दुरूस्ती अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.71 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल के नाम व शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 345 से 348, 351, 429, 432 से 435, 440 कुल किता 11 कुल रकबा 1.58 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसके 1/18 हिस्से की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल के नाम व 1/18 हिस्से की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 445, 449, 457 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसमें 1/18 हिस्से की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोकल के नाम व हिस्सा 1/18 हिस्सा श्योलाराम पुत्र धोंकल के नाम व हिस्सा 1/18 हिस्सा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 329, 344 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसमें 1/18 हिस्से की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम व धोकल के नाम व 1/18 हिस्सा की खातेदारी मृत्तक श्योलाराम पुत्र धोकल के नाम व 1/18 हिस्सा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 9 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 428, 436 से 439, 441, 442, 444, 446 से 448 कुल किता 13 कुल रकबा 11.14 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है जिसमें 1/18 हिस्से की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोकल के नाम व हिस्सा 1/18 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1047/455, 1048/455, 454 कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर [illegible] में स्थित है जिसका हिस्सा 1/8 की खातेदारी में वादी संख्या 3 के [illegible] वादी संख्या 3 का नाम जुगलकिशोर व वल्दियत में गोविन्दराम के [illegible] है। उक्त वल्दियत गोविन्दराम दर्ज होनी चाहिये। वादीगण एंव प्रतिवादीगण आपस में एक [illegible] परिवार से है। वादीगण में दादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

22/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

धोंकल पुत्र ईशरा के तीन पुत्र क्रमशः गोविन्दराम, श्योलाराम व हरलाल उत्पन्न हुये थे जिनमें गोविन्दराम ना औलाद फौत हुआ है व श्योलाराम अविवाहित ही फौत हो गया था। इस प्रकार उक्त वर्णित भूमियो में हरलाल के उत्पन्न पुत्र संतान वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 इस प्रकार मृत्तक गोविन्दराम व मृत्तक हरलाल ने अपनी समस्त उपरोक्त भूमियो में से आधी भूमिया वादीगण संख्या 1 ता 3 को व आधी भूमिया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उनके हक हिस्से अनुसाार गोविन्दराम व हरलाल ने अपने जीवनकाल में ही सम्भला दी थी। यंहा यह भी उल्लेखनिय है कि हरलाल के तीन पुत्र वादीगण संख्या 1 ता 3 जो हरलाल के जायन्दा पुत्र है परन्तु उक्त तीनो वादीगण की परवरिश हरलाल में भाई गोविन्दराम ने ही की थी। उक्त तीनो पुत्रो को गोविन्दराम ने अपने पास बाल्यकाल में ही रखकर उनके समस्त दस्तावेजो में उनके पिता के रूप में नाम गोविन्दराम ही दर्ज करवा दिया गया हैं। इसी अनुसार तीनो भाईयो के नाम की भूमियो को आधी वादीगण संख्या 1 ता 3 को व आधी भूमियो को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को सम्भलाकर इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 प्रतिवादी नम्बर 4, प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 की माता हैं। इसलिये वह अपने पुत्रो के साथ मौके पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9 जो मृत्तक हरलाल की पुत्रिया हैं। जो शादीशुदा होकर अपने–अपने ससुराल में निवास करती हैं व अपने पति की सम्पत्तियो पर काबिज काश्त हैं। उक्त वर्णित भूमियो में प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 का कोई कब्जा काश्त नही हैं। इस प्रकार वादीगण वादपत्र में अंकित भूमियो में उपरोक्तानुसार अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। उक्त वर्णित भूमियो की खातेदारी दर्ज कराने बाबत वादीगण ने पूर्व में प्रतिवादीगण को कंहा तो वे हां करते रहे व टालते रहे परन्तु अब वर्तमान समय में आपसी पारिवारिक सामंजस्य की कमी के चलते वे आनाकानी करने लग गये है व खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार हो गये हैं। इसी कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 30.04.2022 को वादीगण ने वादपत्र में वर्णित भूमियो की खातेदारी कब्जा काश्त अनुसार व पूर्व में हुये पारिवारिक बाह्मी समझौता अनुसार दर्ज कराने बाबत कंहा तो वे इन्कार हो गये। यही बिनाय दावा पैदा होकर लगातार हो रहा हैं। वकील वादीगण ने दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया हैं:–

यह कि उद्घोषणा इस अमर का फरमायी जावे कि तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान की भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.71 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 कुल भूमियो में 1/2 हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर व हिस्से 1/2 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 345 से 348, 351, 429, 432 से 435, 440 कुल किता [illegible] कुल रकबा 1.58 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल हिस्सा 1/18 व हिस्सा 1/18 के वादीगण संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर व हिस्सा 1/18 के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर पक्षकारान के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 445, 449, 457 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम, धूकल हिस्सा 1/18 व मृत्तक श्योलाराम पुत्र धोकल का हिस्सा 1/18 हिस्सा व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 हिस्सा कुल हिस्सा कुल 1/6 में आधा हिस्सा अर्थात 1/12 के वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा बराबर बराबर व हिस्सा 1/12 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर –बराबर व भूमि खसरा नम्बर 329, 344, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल हिस्सा 1/18 व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर हिस्सा 1/18 वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा बराबर बराबर व हिस्सा 1//18 का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 428, 436 से 439, 441, 442, 444, 446 से 448 कुल किता 13 कुल रकबा 11.14 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोकल हिस्सा 1/18 व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर हिस्सा 1/18 वादी संख्या 1 ता 3 को हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/18 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उनके नाम खातेदारी उक्तानुसार दर्ज करायी जाकर वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 5 में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल का नाम व वादपत्र की मद नम्बर 3 में मृत्तक श्योलाराम पुत्र धोंकल का नाम हजफ किया जावे व वादीगण की वल्दियत में हरलाल के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज किया जावे व वादपत्र की मद संख्या 6 में वर्णित भूमियो में भी वादी संख्या 3 का नाम जुगलकिशोर व वल्दियत में हरूराम के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 5 में प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 का नाम हजफ फरमाया जाकर उक्तानुसार खातदेरी जरिये डिक्री दर्ज करायी जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 की ओर से श्री रिछपाल बाजिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 10 की सम्मन तामील [illegible] हो आने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी श्रीराम का व वादीगण साक्ष्य गवाहान् में माली, कजोड़ व जयपाल के मुख्य परीक्षण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा के द्वारा वादपत्र में सहमति प्रदान कर दिये जाने से वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के कुल 6 खातो में वर्णित अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। कई जमाबन्दियों में खातेदारी मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल के साथ–साथ श्योलाराम पुत्र धोंकल के नाम दर्ज रिकार्ड होना भी प्रकट होता है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार व खानदान से है। वादीगण के दादा धोंकल पुत्र ईशरा के तीन पुत्र क्रमशः गोविन्दराम, श्योलाराम व हरलाल उत्पन्न होना तथा उनमें से गोविन्दराम नाऔलाद फौत होना व श्योलाराम अविवाहित ही फौत हो जाना प्रकट होता है। मृत्तक गोविन्दराम व मृत्तक हरलाल ने उक्त भूमियों में से आधी भूमियॉं वादीगण संख्या 1 ता 3 को व आधी भूमियॉं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उनके हक हिस्सानुसार अपने जीवनकाल में ही सम्भला दिया जाना प्रकट होता है। हरलाल के तीन पुत्र वादीगण संख्या 1 ता 3 की परवरिश हरलाल के भाई गोविन्दराम के द्वारा किये जाने से उनके समस्त दस्तावेजात् में उनके पिता के रूप में नाम गोविन्दराम ही दर्ज करवा दिया जाना स्पष्ट होता है। उक्त भूमियों का पक्षकारान् के मध्य आपस में पारिवारिक सैटलमेंट में अलग–अलग भूमियॉं आना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियॉं पक्षकारान् की पैत्रक भूमियॉं होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण ने वादीगण के पक्ष में इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादीगण के पक्ष प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व अन्य दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के कब्जे काश्त की भूमियों की खातेदारी की घो[illegible] जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

22/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा व दुरूस्ती को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.71 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 कुल भूमियो में 1/2 हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर–बराबर व हिस्से 1/2 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 345 से 348, 351, 429, 432 से 435, 440 कुल किता 11 कुल रकबा 1.58 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल हिस्सा 1/18 व हिस्सा 1/18 के वादीगण संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर व हिस्सा 1/18 के प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 445, 449, 457 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम, धूंकल हिस्सा 1/18 व मृत्तक श्योलाराम पुत्र धोकल का हिस्सा 1/18 हिस्सा व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 हिस्सा कुल हिस्सा कुल 1/6 में आधा हिस्सा अर्थात 1/12 के वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/12 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर –बराबर व भूमि खसरा नम्बर 329, 344, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल हिस्सा 1/18 व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर हिस्सा 1/18 वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/18 का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर व भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 428, 436 से 439, 441, 442, 444, 446 से 448 कुल किता 13 कुल रकबा 11.14 हैक्टर में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोकल हिस्सा 1/18 व पक्षकारान के नाम दर्ज हिस्सा 1/18 के स्थान पर हिस्सा 1/18 वादी संख्या 1 ता 3 को हिस्सा बराबर–बराबर व हिस्सा 1/18 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को हिस्सा बराबर–बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उनके नाम खातेदारी उक्तानुसार दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा उक्त खसरा नम्बरान में मृत्तक गोविन्दराम पुत्र धोंकल का नाम व भूमि खसरा नम्बर 445, 449, 457 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टर में मृत्तक श्योलाराम पुत्र धोंकल का नाम हजफ किया जाता है एवं वादीगण की वल्दियत में हरलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

स्थान पर गोविन्दराम दर्ज किया जावे एंव भूमि खसरा नम्बर 1047/455, 1048/455, 454 कुल किता 3 कुल रकबा 5.66 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित भूमियो में भी वादी संख्या 3 का नाम जुगलकिशोर व वल्दियत में हरूराम के स्थान पर गोविन्दराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 458 रकबा 1.71 हैक्टर व कृषि भूमि खसरा नम्बर 345 से 348, 351, 429, 432 से 435, 440 कुल किता 11 कुल रकबा 1.58 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 445, 449, 457 कुल किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 329, 344, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 349, 350, 428, 436 से 439, 441, 442, 444, 446 से 448 कुल किता 13 कुल रकबा 11.14 हैक्टर तन् ग्राम कोटड़ी (शिमारला) तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादीगण नम्बर 5 ता 9 का नाम हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

29/8/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.19 13:30:12 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर